

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/स्था/अराज/एमसी/2021

रीवा, दिनांक

आदेश

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्र. 19963/स्था/अराज/एमसी/2021, रीवा, दिनांक 15.09.2021 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संबद्ध चिकित्सालय में गैर शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत अस्पताल प्रबंधन के लिए रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एम.पी. ऑनलाइन द्वारा आयोजित परीक्षा दिनांक 18.11.2021 के परिणाम एवं दिनांक 03.01.2022 को आयोजित मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत तथा दिनांक 07.02.2022 को चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित उपयुक्त पाये गये उम्मीदवार को प्रवीण्यता के क्रम में चयनित करते हुए उप-रजिस्ट्रार के पद पर एकमुश्त मासिक वेतन **रु. 60,000/-** प्रति माह एवं दो प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ सी.पी.आई. के मान से होने वाली वृद्धि के आधार पर अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान कर स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी
1.	चन्द्रप्रकाश शुक्ला	329/ए मयूर नगर, गली नं. 5 डिवाईन पब्लिक स्कूल मूसाखेड़ी के पास, इन्दौर (म.प्र.) पिन -452001	अनारक्षित

नियुक्ति की शर्तें:-

1. आदेश जारी होने के दिनांक से **15 दिवस** के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018" के अनुसार चयनित व्यक्ति को 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. सेवायें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
6. नियुक्त व्यक्ति "म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965" एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन शासित होंगे।
7. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
8. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।

क्रमशः पेज-02

9. नियुक्त व्यक्ति को 50/-रूपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
10. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
11. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।

नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) अनुसार आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)


मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

पृ.क्र. 4588/95/स्था/अराज/एमसी/2022,

रीवा, दिनांक 23/2/22

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा।
6. कार्यालय लेखाशाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की ओर लेख है कि, संबंधित का वेतन भुगतान मांग संख्या 52 - 2210 - 01 - 110 - 1353 - 0101 - 42 - 002 (सहायक अनुदान मद) में विकलनीय होगा।
7. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड-0210-03-200-0000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

JOB RESPONSIBILITY OF DEPUTY REGISTRAR:

1. Assistance to the Dean/Professor/ Faculty in charge for monitoring of all the activities related to students & academics.
2. Assistance to the Dean/Professor in charge/Faculty in charge of UG/PG Section.
3. Assistance to the Dean/Professor in charge/Faculty in charge for academic administrative work.
4. Assistance to the Dean & HOD /Professor in charge for NMC inspection.
5. Assistance to the Dean & HOD/Professor in charge for MPMSU coordination.
6. Assistance to the Dean & Professor in charge / Faculty in charge in Student welfare programs .
7. Assistance to the Dean & Admission Committee /Designated Faculty for counseling and admission.
8. Assistance to the Dean & Professor in charge /Faculty in charge for student grievances.
9. Assistance to the Dean & Professor in charge /Faculty Designated for Bond management implementation.
10. Assistance to the Dean & Professor in charge / Designated Faculty for scholarship implementation.
11. Assisting Dean/Faculty in charge in Medical College for website upgradation and monitoring.
12. Assistance in Library Management, monitoring and administration as desired by the Professor in charge /Faculty in charge of Library & Librarian.
13. Assistance to Professor in charge/ Concerned Faculty in Paramedical and Nursing curriculum implementation.
14. Assistance to the Dean for implementing NMC norms.

15. Responsible for HMIS implementation. Constant monitoring and review of HMIS and to ensure quality of data entry into all modules of HMIS. All HMIS related information to be updated on daily basis to the Dean and Superintendent.

16. Assisting Dean/Professor in charge/ Concerned Faculties in NHM related activities at the medical college & coordination with CME office.

17. Any other job assigned by the Dean from time to time.


Commissioner

Medical Education

18

19

20

21